(10)

(1)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0 प्र0)

===

निगरानी क्र0- R 1417 II/13 सन्-2012-13

1-मुस0 बिनइयां पुत्री स्व0 टूडा ढीमर पत्नी भाई लाल ढीमर निवासी ग्राम थबाड तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

2- मुस0 रामबाई उर्फ रम्मा पुत्री स्व0 टूडा ढीमर पत्नी श्री कन्हैया लाल ढीमर निवासी ग्राम बेनीगंज तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

3- मुस0 मुन्नी बाई पुत्री स्व0 टूडा ढीमर पत्नी श्री खिल्लू ढीमर निवासी ग्राम टटम तह0 महाराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0 .. .. निगरानीकर्ता

बनाम

1- मुस0 पानबाई पुत्री टूडा ढीमर पत्नी परम लाल ढीमर निवासी ग्राम बेनीगंज तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

2- म0प्र0 शासन .. .. गैरनिगरानीकर्तागण

श्री रामेश्वर चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 10.5.13 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्र0क्र0- 40/अपील/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक- 18.03.13 से असंतुष्ट होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (संशोधन अधिनियम 2011) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

================================

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(२)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक– निग. 1417–दो/13 जिला–छतरपुर

मुस. बिनइयां आदि विरूद्ध मुस. पानबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–10–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में दिनांक 17.09.2018 को आवेदिकागण के अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदिका क्र. 1 पानबाई के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र भदौरिया व अनावेदक क्र. 2 मध्यप्रदेश शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री योगेश पाराशर उपस्थित हुये एवं उन्हें सुना गया । 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने अपर कलेक्टर छतरपुर के प्र0क्र0 40/अपील/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2013 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण ने नामांतरण पंजी क्रमांक 12/196 पर पारित आदेश दिनांक 24.03.1989 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष समय बाधित अपील प्रस्तुत की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24.11.2010 से विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील जानकारी दिनांक से समय–सीमा में माना और प्रकरण में नामांतरण पंजी पर विचार करने के उपरांत अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका पानबाई द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 18.03.2013 से अनावेदिका की निगरानी स्वीकार की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश	

1/3.

04.10.18

निरस्त किया है। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदकगण के अधिवक्ता ने लिखित तर्क प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन किया गया ।

5/ अनावेदिका क्र. 1 पानबाई के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6/ मेरे द्वारा उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि पंजी में पारित आदेश दिनांक 24.03.1989 के विरूद्ध 21 वर्ष पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.11.2010 से उक्त अपील को जानकारी दिनांक से समय–सीमा में मानने में त्रुटि की है। क्योंकि आवेदकगण और अनावेदिका सगी बहन है और आवेदकगण को उक्त नामांतरण की जानकारी 21 वर्ष तक न होना मान्य नहीं किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में विलम्ब के संबंध में सहकारण आदेश पारित नहीं किया है। अपितु यह सही है कि प्रकरण का तकनीकि आधार पर निराकरण न करते हुये गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जाना चाहिये । किन्तु 21 वर्ष के दीर्घकालिक विलम्ब को बिना कारण के क्षमा नहीं किया जा सकता । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर बिना विचार किये अपील को समय–सीमा में मानने में त्रुटि की है। इस कारण अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 18.03.2013 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में व्यवहार न्यायालय का आदेश भी संलग्न है, जिसमें स्वत्व का निराकरण किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण

चाहे तो सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर उचित कार्यावाही करने के लिये स्वतंत्र है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नही होती ।

3/3

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 18.03.2013 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

04.10.2018

(आर.के. जैन)
सदस्य